5.1.26 उभयपक्ष उप./ प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नंबर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।
आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/437

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 187/24 GCMS-2024/437 दायर दिनांकः— 29—07—2024

गुरप्रीतसिंह पुत्र श्री गुरमेलसिंह जाति जटसिख साकिन 1 एल एल पी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

————प्रार्थी

बनाम

1— जसवन्तसिंह पुत्र श्री विचित्रसिंह
2— विचित्रसिंह पत्र श्री मक्खनसिंह
3—हरजिन्द्रसिंह पुत्र श्री विचित्रसिंह
4— हरबन्शसिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह

अकवाम कम्बो सिख साकिन 2 बी एन एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5—शाखा प्रबन्धक एस डी एफ सी बैंक शाखा सूरतगढ
6—शाखा प्रबन्धक एस डी एफ सी बैंक शाखा श्री गंगानगर।
7— शाखा प्रबन्धक ओ बी सी वर्तमान पी एन बी बैंक शाखा बीरमाना
8— राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :—

1— श्री राजवीर भादू , सुभाष चन्द्र वर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2— श्री राकेश मनचंदा अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 ता 4
3— सुरेन्द्रपाल सिंह अभिभाषक अप्रार्थी स0 6
4— पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न0 8

—:— निर्णय —:—

दिनांकः— 05.01.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण , अप्रार्थी न0 1 ता 4 व 6 के अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के खाता स0 4/57 के प0न0 15/1 मु0न0 36 के किला न0 11/0.253 है0 अ0क0, 12/1 में 0.127है0 अ0क0, 12/2 में 0.126है0 क0, 20/1 में 0.127 है0 क0, 20/2 में 0.126 है0 अ0क0 कुल 0.759 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम से भूमि वाके चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 78/6 के प0न0 14/24 मु0न0 29 के किला न0 20 ता 22/0.759है0, प0न0 15/1 मु0न0 36 के किला न0 5 ता 7, 13 ता 19, 21/2 ता 25/2 में 3.670 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड , प0न0 15/2 मु0न0 37 के किला न0 2 ता 8, 14 ता 16/2.530 है0 कमाण्ड , प0न0 15/9 मु0न0 35 के किला न0 16 ता 25/2 में 2.405है0 क0, प0न0 15/10 मु0न0 38 के किला न0 1—2—10—11—20/1.265 है0 कमाण्ड, प0न0 15/17 मु0न0 34 के किला न0 1—2/0.506 है0 अ0क0 कुल 11.135 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 15/1 मु0न0 36 के किला न0 21 ता 25, में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की भूमि चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर में चालू रास्ता से आवागमन लगभग 10 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नहीं होने से प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने परेशानी होती है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 ता 2 की भूमि वाके चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 ता 4 जरिये अभिभाषक राकेश मनचंदा व अप्रार्थी सं0 5 व 6 जरिये अभिभाषक सुरेन्द्रपाल सिंह उपस्थित हुये । अप्रार्थी सं0 7 बावजूद समन तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिण कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी न0 4 के द्वारा दौराने कार्यवाही मौका निरीक्षण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर जबाब के पश्चात दोनो पक्षो को सुनने के बाद अप्रार्थी न0 4 का प्रार्थना–पत्र दिनांक 16–06–2025 को निरस्त कर दिया गया ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अनुतोष प्राप्त करने की गर्ज से सही तथ्यों को माननीय न्यायालय से छिपाते हुये अंकित किये । प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि चक 3 बी एन एम के प0न0 15/1 के किला न0 11/0.253 है0 ,12/1 में 0.127 है0, 12/2 में 0.126 है0, 20/1 में 0.127 है0, 20/2 में 0.126 है0 कुल 0.759 है0 मे , इस उक्त अंकित पत्थर नम्बर के चिपते पश्चिम पासा में स्थित चक 6 ए पी के मु0न0 50 प0न0 235/57 के किला न0 5–6–17 ता 20/1.518 है0 , 21/2 में 0.228 है0 , 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0 , 24/2 में 0.228 है0 25/2 में 0.228 है0 कुल 2.658 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि के खातेदार जगदीश कुमार व साहबराम पिसरान हरजीराम अकवाम मेघवाल साकिन पुरूषोतमवाला बहिस्सा बराबर भूमित के किला न0 25/2 के दक्षिण पासा में स्वीकृत शुदा चालू रास्ता से इस किले के पूर्वी पासा में सींव पर दक्षिण से उतर दिशा लम्बाई में मौका पर 30 फुट चौडे रास्ता से उतर दिशा में जाकर किला न0 15 आराजी राज में दक्षिणी पूर्वी कोना से होकर अपनी खातेदारी भूमि में मौका पर आया जाया जाता रहा है । इसी किला न0 25/2 में जगदीश कुमार वगै0 के द्वारा स्वीकत शुदा रास्ता से पीछे हटकर किला न0 25/2 में लगभग उतरी सीव पर इस किले के पूर्वी पासा में पूर्व से पश्चिम में लगभग 30 फुट भूमि रास्ता बाबत छोड़ते हुये पक्की ढाणी बनाई हुई है। इसी रास्ता का प्रयोग प्रार्थी द्वारा मौका पर किया जाता आ रहा है न कि हम अप्रार्थीगण की चक 3 बी एन एम की संयुक्त खाता की प0न0 15/1 के किला न0 21/2 के पश्चिमी पासा मे दक्षिण से उतर लम्बाई में रास्ता बाबत भुमि का प्रयोग किया जाता आ रहा है । प्रार्थी के पास बैकल्पिक रास्ता लगता है । प्रार्थी ने जानबुझ कर जगदीश कुमार वगैरा को पक्षकार नही बताया गया है । अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने चालू रास्ता और मौका पर बनी ढाणी की फोटो इस प्रकरण में पेश कर मौका निरिक्षण करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अगर न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी सं0 5 व 6 के हितो को ध्यान में रखकर किया जावे ।

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 ता 4 के अभिभाषकगण एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के खाता स0 4/57 की कुल 0.759 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम से भूमि वाके चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 78/6 की कुल 11.135 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 15/1 मु0न0 36 के किला न0 21 ता 25, में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर में चालू रास्ता से आवागमन लगभग 10 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने परेशानी होती है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। इसके साथ तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

राजस्व सूरतगढ एवं भू–अभि0 निरीक्षण (ILR) की रिपोर्ट भी पत्रावली में सम्मलित है जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी को वैक्लपिक रास्ते का अभाव है । तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 ता 2 की भूमि वाके चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अनुतोष प्राप्त करने की गर्ज से सही तथ्यों को माननीय न्यायालय से छिपाते हुये अंकित किये । प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि चक 3 बी एन एम की कुल 0.759 है0 मे , इस उक्त अंकित पत्थर नम्बर के चिपते पश्चिम पासा में स्थित चक 6 ए पी के मु0न0 50 प0न0 235/57 की कुल 2.658 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि के खातेदार जगदीश कुमार व साहबराम पिसरान हरजीराम अकवाम मेधवाल साकिन पुरूषोतमवाला बहिस्सा बराबर भूमित के किला न0 25/2 के दक्षिण पासा में स्वीकृत शुदा चालू रास्ता से इस किले के पूर्वी पासा में सींव पर दक्षिण से उतर दिशा लम्बााई में मौका पर 30 फुट चौडे रास्ता से उतर दिशा में जाकर किला न0 15 आराजी राज में दक्षिणी पूर्वी कोना से होकर अपनी खातेदारी भूमि में मौका पर आया जाया जाता रहा है । इसी किला न0 25/2 में जगदीश कुमार वगै0 के द्वारा स्वीकत शुदा रास्ता से पीछे हटकर किला न0 25/2 में लगभग उतरी सीव पर इस किले के पूर्वी पासा में पूर्व से पश्चिम में लगभग 30 फुट भूमि रास्ता बाबत छोड़ते हुये पक्की ढाणी बनाई हुई है। इसी रास्ता का प्रयोग प्रार्थी द्वारा मौका पर किया जाता आ रहा है न कि मुझ अप्रार्थी की चक 3 बी एन एम की संयुक्त खाता की प0न0 15/1 के किला न0 21/2 के पश्चिमी पासा मे दक्षिण से उतर लम्बाई में रास्ता बाबत भुमि का प्रयोग किया जाता आ रहा है । प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता लगता है । प्रार्थी ने जानबुझ कर जगदीश कुमार वगैरा को पक्षकार नही बताया गया है । इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के खाता स0 4/57 की कुल 0.759 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए वाके चक 3 बी एन एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 15/1 मु0न0 36 के किला न0 21 ता 25, में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की भूमि चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 पश्चिम पासा में दक्षिण से उत्तर में चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का एक मात्र माध्यम है । पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है । प्रार्थी के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है तथा प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 ता 4 की खातेदारी भूमि में रास्ता की भूमि के एवज में अपनी भूमि दी जा रही है । इन तमाम तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 (पश्चिम पासा) में दक्षिण से उत्तर में चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम खातेदार भूमि चक 3 बी एन एम के प0 न0 15/1 मु0 न0 36 के किला न0 21 में 0.019 है0 (पश्चिम पासा) में दक्षिण से उत्तर भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि प0 न0 15/1 मु0न0 36 के [illegible] 20/2 में 0.019 है0 भूमि (पूर्वी पासा) उतर से दक्षिण लम्बाई प्रार्थी की खातेदारी भूमि से क[illegible]न कर [illegible] प्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम [illegible] जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.0[illegible] को खुले [illegible] में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ